## डा0 राम मनौहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/अनापत्ति/२०१५/६०३

दिनांक 20 2 , 2015

## अनापत्ति पत्र

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012- 2(166)/2012 दिनांकः 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्त पोषितयोजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की अध्यक्षता में कार्यालय-ज्ञाप संख्याः लो0अ0वि0/सम्ब0/ 2012/5212 दिनांकः 02.09.2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक रत.02.2015 को हुई। इस बैठक में लिये सर्य निर्णयों के अनुपालन में मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी/महाविद्यालय की स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्ता तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनामत्ति प्रदान की जाती है –

- अ-संचालक सोसाइटी का नाम- मुरता देवी मुन्नर यादव एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सॉसाइटी ग्रास-बिहामदपुर, पोस्ट-आश्वापार, तहसील-जलालपुर, जिला- अम्बेडकरनगर। ब-पंजीकरण तिथि–13.04.2012 स-पंजीकरण वैधता तिथि: 12.04.2017
- अ–महाविद्यालय का नाम– बाबा राम नाथ स्मारंक महाविद्यालय, विहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर। ब–पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम– बी०ए० स–स्थायीकरण की स्थिति– बी०ए०
- अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परारनातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतुः-स्नातक।
- अ-अनापत्ति से सम्बन्धित संकायः– बी०एस–सी० संकाय। ब-अनापत्ति से सम्बन्धित विषयः– स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों।
- 5. इस अनापत्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम–बिहामदपुर, परगना–सुरहुरपुर तहसीत–जन्नात्रपर जनपद–अम्बेडकरनगर स्थित गाटा सं0 270/0.011हे0, 271/0.588 कुल 0.589हे0 तथा 21341/0.2382, 216/0.065 हे0, 214/0.065हे0, 2015/0.063हे0 कुल 0.421 हे0 कुल रकबा 1.020हे0 भूमि पर राष्ट्रीय मंदभ संहिता 2005 के मानकानुकार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि/भूखण्ड पर गडाविद्धानय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 6. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति– उपलब्ध है।
- 7. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययप्पर संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रू0 100/--(रू(रुप्त सी) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/गहार्वद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।
- 8. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाट ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किय बिना प्रविश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रदि महाविद्यालय/संस्थान ही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रदि महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश किये बिना प्रदे की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त किये बिना पदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
- 9. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2(0166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी अन्य

तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

- 10. संस्थान / महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उठप्र0 शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हयी वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
- 11 उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकर नहीं होगा।
- 12. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान / महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 13. सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-

कम सं.	कार्यवाही	तिथियां
1	निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	10 मार्च तक
2	निरीक्षण मण्डल गठित करने की तिथि	20 मार्च तक
	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की तिथि	15 अप्रैल तक
	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	30 मई तक
	दिनॉकः 15 अप्रैल के पश्चात प्राप्त निरीक्षण आख्या पर सत्र—2015—16 हेतु सम्बद्धता प्रयोग करने पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।	

14. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति की जन्म अनुमोदनोपरान्त / अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्ही अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कर्ड परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार और जिंध अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानक भ दन्ध कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

2. उपकुलसचिव, सम्बद्धता।

3. प्रबन्धक, बाबा राम नाथ स्मारक महाविद्यालय, विहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर।

कुलसचिव